

न्यायालय सपखण्ड अधिकारी महोदय पिडवा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 एल.आर.एक्ट सहपठित द्वारा 18 एल.आर.एक्ट संख्या

ग्रामीण सेवा शिक्ति -2025

ग्राम पंचायत... रिपोर्ट

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम... स/डा. सबीरिया जमाबंदी सं... के खाता सं/150 में दर्ज खातेदारान/चादीगण के पिता/पति/हिरसा/जाति/निवासी में मूलत इन्द्राज/ इन्द्राज/ इन्द्राज अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 के अन्तर्गत खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खातानी खाता सं	भू प्रबंध खातानी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं	सामान इन्द्राज/ बुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रमाण)
1	2	3	4	
150	कन्हैया, बापु S/O नाथू, सत्यनारायण S/O लक्ष्मीनाथ शायद जाति पलार्ई सा. गांव खोदेदार	150	जाति पलार्ई	जाति मेहर

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. कन्हैया S/O नाथू
2. बापु S/O नाथू
3. सत्यनारायण S/O लक्ष्मीनाथ
4. शायद S/O नाथू जाति मेहर A. जाति पलार्ई

हस्ताक्षर
बापु
सत्यनारायण
शायद

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वचन पत्र व अनुसार धारा 88 के अन्तर्गत जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में अंतर का कारण उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 के अन्तर्गत खातेदार घोषित करने योग्य है।

हस्ताक्षर पटवारी

रिपोर्ट शुद्ध भलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। अजरा रिकार्ड में दर्ज बुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

शुद्ध भलेख
9/10/2025
9/10/2025



रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/933

दिनांक 04/10/25

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम खेडा खोरी के वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार (राजस्व) भोयव तहसीलदार
सुनेल (राजस्व)
04/10/25
18-10-25

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/273

दिनांक: 06/11/25

वादी/प्राथी के ग्राम खेडा खोरी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज तहसीलदार सुनेल की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित राशियों के त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में साक्षी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



उपखण्ड अधिकारी पिडावा
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज0)